01.26.3.14

दिनांक: 22-3-2014

सेवा में,

माननीय मुख्य सचिव
हरियाणा सरकार, चण्डीगढ।

विषय: **मैसर्ज नपीनो आटो एण्ड इलैक्ट्रोनिक्स लि0 के प्रबन्धकों द्वारा संस्थान में बडे पैमाने पर जारी अनुचित श्रम व्यवहार नीति, ठेकेदारी प्रथा एंव प्रबन्धकों की श्रमिकों पर जारी दमनात्मक कार्यवाही के संदर्भ में।**

मान्यवर महोदय,

सादर व विनम्र निवेदन है :—

1. यह कि उपरोक्त नाम से गुडगांव में तीन संस्थान है:—

(i) नपीनो आटो एण्ड इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड प्लाट न0 753—754 उद्योग विहार फेस—5 गुडगांव (ii) नपीनो आटो एण्ड इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड प्लाट न0 7, सैक्टर—3, आई.एम.टी. मानेसर, गुडगांव तथा (iii) नपीनो आटो एण्ड इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड प्लाट न0 131, सै0-8 आई.एम.टी. मानेसर, गुडगांव है। प्रबन्धक कम्पनी के स्थापना समय से ही अनुचित श्रम नीति एंव गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त है और प्रबन्धक संस्थान में किसी भी प्रकार का श्रम कानून लागू नही करते है।

2. यह कि प्रबन्धकों की उपरोक्त प्रक्रिया को रोकने के लिए दो संस्थान के श्रमिकों ने संगठित होकर अपनी यूनियन का गठन किया। जिसका

पंजीकरण करने में भी श्रम विभाग के उच्च अधिकारियों ने प्रबन्धकों से मिलीभगत करके दो साल तक यूनियन को पंजीकरण तक नही होने दिया जिसमें मुख्य भूमिका तत्कालीन उपश्रमायुक्त श्री जे.पी.मान तथा तत्कालीन जे.एल.सी. श्री अनुपम मलिक का पूरा हाथ रहा है।

3. यह कि नपीनो आटो एण्ड इलैक्ट्रोनिक्स ईम्पलाईज यूनियन रजि0 नम्बर 1936 आई.एम.टी. मानेसर तथा नपीनो आटो एण्ड इलैक्ट्रोनिक्स ईम्पलाईज यूनियन रजि0 नम्बर 1937 उद्योग विहार, दिनांक 03.10.2012 के द्वारा श्रमिकों की मांगों को लेकर एक सामुहिक मांग पत्र प्रबन्धकों को दिया। लेकिन प्रबन्धकों के अडियल रवैया के कारण अभी तक समझौता नही हो पाया। समझौता करवाने के लिए श्रम तथा समझौता अधिकारी, सर्कल–6, गुडगांव, अतिरिक्त श्रम आयुक्त गुडगांव ने काफी प्रयास किया लेकिन जे. एल.सी. अनुपम मलिक ने प्रबन्धकों से मिलकर श्रमिकों के साथ धोखा किया तथा मांग पत्र को श्रम न्यायालय में रैफर करा दिया गया।

4. यह कि यूनियन का स्पष्ट सोचना है कि श्री अनुपम मलिक जो प्रबन्धकों से मिलकर विवाद पैदा कराते है तथा यूनियन पंजीकरण में भी मोटी रकम लेते है यह पूरे औद्योगिक क्षेत्र में चर्चा है और इसकी जांच करवाई जानी चाहिए तथा कई यूनियन शपथ पत्र देने को भी तैयार है कि इस अधिकारीने किस तरह से यूनियन पंजीकरण में धाधली की है और जंहा भी औद्योगिक क्षेत्र. में विवाद पैदा होते है इसी अधिकारी की भूमिका भी पूरी

[illegible] मांगों के विवाद में अब भी यह अधिकारी नीचे स्तर के अधिकारियों पर दबाव बना कर यूनियन के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करने का जोर दे रहा है।

5. यह कि पिछले 2 साल से प्रबन्धकों द्वारा किये जा रहे अत्याचारों, ज्यातियों व मजदूर विरोधी कार्यवाहियों, श्रम कानूनों की धज्जियां उडाते हुए मजदूरों को नौकरी से निकालना, झूठी चार्ज शीट देना अनेक मजदूर विरोधी कारणों से मजदूरों को नरकीय जीवन जीने पर मजबूर किया जा रहा है। यंहा पर यह बताना भी उचित है कि प्रबन्धकों ने वर्ष 2009–2010 में लगभग 300 श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया था और इससमय भी प्रबन्धक तथा श्रम विभाग के उच्च अधिकारी जे.एल.सी. श्री अनुपम मलिक मजदूरों को नौकरी से निकालने की कार्यवाही में जुटे हुए है।

6. यह कि नपीनों आटो एण्ड इलैक्टोनिक्स लि0 प्लाट नम्बर 131, सैक्टर–8, आई.एम.टी. मानेसर के श्रमिकों ने इक्टठे होकर एक सामुहिक मांग पत्र दिनांक 10.03.2014 प्रबन्धकों को दिया और बदले की भावना से 50 श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया गया। जो कि संस्थान गेट के बाहर धरने पर बैठे है।

7. यह कि प्रबन्धकों द्वारा की गई हर मजदूर विरोधी कार्यवाही की शिकायत यूनियन के पदाधिकारियों ने समय समय पर श्रम विभाग गुडगांव, चण्डीगढ व अन्य अधिकारियों को दी है लेकिन श्रम विभाग अभी तक प्रबन्धकों द्वारा

की जा रही दमनात्मक कार्यवाही पर कोई रोक नही लगवा सकी है और ना ही श्रम विभाग द्वारा कोई उचित कार्यवाही अमल में लाई गई। क्योकि जे.एल.सी. श्री अनुपम मलिक खुलकर प्रबन्धकों के साथ है और नीचे वाले अधिकारी इनके दवाब में है।

8. यह कि अब प्रबन्धकों की तानाशाही व गुण्डागर्दी तीनो सस्थानों में हद से ज्यादा बढ गई है। मजदूरों की किसी ने अब तक सुनवाई नही की और प्रबन्धकों ने खुलकर मजदूरों का शोषण अत्याचार, धरेलू जांच करवाना, सेल्री काटने की धमकी देना, जानबुझकर गेट रोक देना, नौकरी से निकालना, लगातार जारी है। प्रबन्धक विवाद को बातचीत के माध्यम से सुलझाने की बजाय अडियल रूख अपनाकर मजदूरों पर दमनात्मक कार्यवाहियों में लिप्त है। इसी वजह से अभी तक कोई समाधान ना हो सका। प्रबन्धकों द्वारा खुलकर ठेकेदारों के मजदूरों से स्थाई कार्य करवाया जा रहा है जिन पर कोई भी श्रम कानून लागू नही है।

9. यह कि उपरोक्त सभी बातों को लेकर मजदूरों में भारी रोष बढता जा रहा है ओर किसी भी समय कोई भी आन्दोलन का कदम उठाया जा सकता है जिसकी पूर्ण रूप से प्रबन्धक व श्रम विभाग जिम्मेवार होगा।

अतः आपसे प्रार्थना है कि विवाद का समाधान करवाया जावे, श्रम कानूनों को लागू करवाया जावे, निकाले गये सभी मजदूरों को डियूटी पर लिया जावे। मांग पत्र का निपटारा करवाया जावे साथ ही जे.एल.सी. श्री

अनुपम मलिक के कार्य की जांच करवाई जावे और इसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जावे अगर आवश्यक समझे तो इस अधिकारी के खिलाफ यूनियन सबूत भी दे सकती है कि यह अधिकारी खुलकर औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिक विवाद पैदा करवाता है तथा यूनियन को पंजीकरण में लाखों रूपयें लेता है।

हम आशा करते है कि इस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने के साथ साथ मजदूरों की समस्याओं व सामुहिक मांग पत्र व श्रम कानूनों को लागू करवाने के लिए उचित कदम उठायेगें।

धन्यवाद सहित।

निवेदक

प्रधान/महासचिव
नपीनों आटो एण्ड इलैक्ट्रोनिक्स
ईम्पलाईज यूनियन रजि0 1936
आई.एम.टी. मानेसर

प्रधान/महासचिव
नपीनों आटो एण्ड इलैक्ट्रोनिक्स
ईम्पलाईज यूनियन रजि0 1937
उद्योग विहार

श्रमिक प्रतिनिधि
नपीनो आटो एण्ड इलैक्टोनिक्स लि0
प्लाट नम्बर 131, सैक्टर–8
आई.एम.टी. मानेसर, गुडगांव

प्रतिलिपि :

1. माननीय राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार।
2. माननीय प्रधान मंत्री महोदय, भारत सरकार।
3. श्रीमान् मुख्य मंत्री हरियाणा सरकार।
4. श्रीमान् श्रम मंत्री हरियाणा सरकार।
5. का0 गुरूदास दास गुप्ता, राष्ट्रीय महासचिव एटक